न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व अपील सं. 10/2024

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

<u>अन्तर्गत धारा 75 RLR Act</u>

अनवान अपीलाण्ट – 1. कमला पत्नि हरजीराम 2.कमलेश पुत्र मुकनाराम जाति जाट, निवासी धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

उतरदातागण – 1.सरपंच जरिये ग्राम पंचायत धारासर
2.कानाराम पुत्र मुकनाराम, जाति जाट
निवासी धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – अपीलाण्ट वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
उतरदातागण वकील – **एकतरफा**

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 06.02.2025

अपीलाण्ट द्वारा पेश अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धारासर तहसील चौहटन के खसरा सं. 246 रकबा 02.2339 हैक्टयर बैचानकर्ता खेमाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी में दर्ज थी। अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 ने बेचान कर्ता खेमाराम से उसका सम्पूर्ण हिस्से की भूमि जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 20.10.222 को क्रय कर अपीलाण्ट व उतरदाता सं. 2 ने पंजीयन दस्तावेज अनुसार कब्जा हासिल किया।

वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट एवं उतरदाता सं. 2 ने बेचानकर्ता खेमाराम का सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट ने 3/4 हिस्सा एवं उतरदाता सं. 2 ने 1/4 हिस्सा भूमि जरिये पंजीयन दस्तावेज दिनांक 20.11.2022 को क्रय कर अपीलाण्ट व उतरदाता सं. 1 ने उसी अनुसार कब्जा हासिल किया। अपीलाण्ट को अपने खरीदसुदा 3/4 हिस्सा पर वक्त खरीदने से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त है। अपीलाण्ट यही समझता रहा कि [illegible] खोलते समय हमारा हिस्सा उतरदाता सं. 2 के साथ राजस्व [illegible] में [illegible] दो। लेकिन जब बैचान नामान्तरकरण 783 दिनांक 21.11.2022 को पटवारी हल्का [illegible] ने खोला तब अपीलाण्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

1/3–1/3 हिस्सा व उतरदाता का 1/3 हिस्सा खोल दिया जबकि अपीलाण्ट का 3/4 हिस्सा व उतरदाता का 1/4 हिस्सा है। अपीलाण्ट ने अपनी संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु पटवारी हल्का धारासर से सम्पर्क कर उक्त आराजी खसरा सं. 246 रकबा 02.2339 हैक्टयर मौजा धारासर के खातेदारी रेकर्ड की नकलों हेतु सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम का खातेदारी अंकन 1/3–1/3 हिस्सा का है।

पटवारी हल्का द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नामान्तरकरण सं. 783 की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 04.07.2024 को व तहसीलदार चौहटन से दिनांक 18.07.2024 को पंजीयन दस्तावेज की प्रमाणित नकले प्राप्त की तथा नकले प्राप्त होने पर इस अपीलाधीन नामान्तरकरण पर पारित उतरदाता सं. 1 के आदेश दिनांक 21.11.2022 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी।

उतरदाता सं. 1 ने अपीलाधीन आदेश पारित कर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया । आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को अपना पक्ष करने का अवसर न देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया। बेचानकर्ता ने अपीलाधीन आराजी के उसके खातेदारी अधिकारों का पंजीबद्ध विक्रय पत्र से अपीलाण्टगण व उतरदाता सं. 2 को हस्तांतरण कर आराजी का कब्जा दिया है अतः रजिस्ट्रेशन एक्त की धारा 47 एवं सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार आराजी में अपीलाण्टगण के हिस्सा 3/4 के खातेदारी अधिकार पैदा हो चुके है और इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट को इस अपीलाधीन आदेश का ज्ञान 04.07.2024 को हुआ एवं सम्पूर्ण नकले 18.07.2024 को मिली , अतः अपील ज्ञान व नकले प्राप्ति की दिनांक से अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर म्याद सुमार करने हेतु आवेदन अन्तर्गत 05 परिसीमा अधिनियम के तहत पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार करने की स्वीकृति फरमावे एवं ग्राम पंचायत धारासर तहसील चौहटन के द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 783 दिनांक 21.11.2022 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 246 रकबा 02.2339 हैक्टयर मौजा धारासर तहसील चौहटन की भूम में विक्रय पत्र अंकित अपीलाण्टगण का 3/4 हिस्सा व उतरदाता सं. 2 का 1/4 हिस्सा अनुसार नये सिरे से पुनः नामान्तरकरण पारित करने का आदेश फरमावे।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उतरदातागण को जरिये रजि.नोटिस तलब किया गया। उतरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए अतः उतरदातागण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली पेश हुई । अपीलाण्ट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत धारासर तहसील चौहटन के द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 783 दिनांक 21.11.2022 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 246 रकबा 02.2339 हैक्टयर मौजा धारासर तहसील चौहटन की भूम में विक्रय पत्र अंकित अपीलाण्टगण का 3/4 हिस्सा व उतरदाता सं. 2 का 1/4 हिस्सा अनुसार नये सिरे से पुनः नामान्तरकरण पारित करने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंगन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा धारासर, तहसील चौहटन में वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 246 रकबा 02.2339 हैक्टयर आई हुई थी, जो बेचानकर्ता खेमाराम पुत्र धनाराम की खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें से अपीलाण्टगण ने 3/4 हिस्सा एवं उतरदाता सं. 2 ने 1/4 हिस्सा जरिये पंजीयन दस्तावेज क्रय किया था जिसका नामान्तरकरण सं. 783 दिनांक 21.11.2022 को पारित करते समय अपीलाण्ट प्रत्येक तथा उतरदाता सं. 2 का 1/3–1/3 हिस्सा अंकन किया गया जो गलत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 783 दिनांक 21.11.2022 खारीज योग्य है तथा अपीलाण्टगण की अपील स्वीकार योग्य है। अतः न्यायहित में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है , उतरदाता सं. 1 द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 783 दिनांक 21.11.2022 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार चौहटन को सम्पूर्ण जांचकर पुनः नये सिरे से पंजीयन दस्तावेज में वर्णित हिस्सानुसार नामान्तरकरण पारित करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.02.24 16:57:09 IST
Reason: SelfAttested